Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ जिला खैरथल तिजारा में आरोपी प्रवर्तन निरीक्षक के दलाल रिंकु 30,000/— रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 25 सितम्बर, गुरूवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भिवाडी इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी रिंकु (दलाल) निवासी मिस्त्री मार्केट टपूकडा जिला खैरथल तिजारा को पूनम प्रवर्तन निरीक्षक के लिए **30,000/—रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी भिवाडी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी राज्य सरकार द्वारा सन् 2023 में आवंटित राशन की दुकान का संचालन करता है। जो ग्राम पंचायत हसनपुर माफी में आती है। कुछ दिन पूर्व पूनम प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा परिवादी की दुकान का निरीक्षण किया था। दिनांक 12.09.2025 को उन्होंने परिवादी को टपूकडा में रिंकू की दुकान पर बुलाया और धमकी दी कि आप 50,000/— रूपये दो नहीं तो मैं आपकी दुकान का लाईसेन्स निलम्बित कर कार्यवाही करूंगी। परिवादी ने बताया की उसे रिंकू दलाल द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक पूनम के नाम से रिश्वत देनें के लिए परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस—प्रथम श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. इकाई भिवाडी के **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी रिंकू को 30,000/— रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय हैं की आरोपी रिकूं से वक्त सत्यापन दिनांक 23.09.2025 को परिवादी से प्राप्त किये गये 10,000/— रूपये भी बरामद हुये है। पूनम प्रवर्तन निरीक्षक की भूमिका संदिग्ध होने के कारण पूछताछ हेतु सम्पर्क करने की कोशिश की गई तो उनको ट्रैप कार्यवाही की भनक लगने के कारण वह अपना मोबाईल स्वीच ऑफ कर फरार हो गई है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस प्रथम श्री राजेश सिंह के सुपरवीजन में आरोपित से पुछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।